

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या 60/2020

अनवान

1. श्री कमला देवी पत्नी श्री रामनिवास भांभी निवासी गठिलाखेडा तह व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती जमनी पत्नी श्री कजोड बलाई निवासी देवील तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. लहरू लाल पुत्र श्री देवी लाल भील निवासी उण्डवा तह. गंगरार जिला चितौडगढ।
3. श्रीमती झतरी देवी पुत्री श्री देवीलाल भील निवासी उण्डवा तह. गंगरार जिला चितौडगढ।
4. श्रीमती नन्दू देवी पत्नी श्री देवी लाल भील निवासी उण्डवा तह. गंगरार जिला चितौडगढ।
5. श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री रामेश्वर लाल जाट निवासी राजोला तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 18-02-2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18-08-2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भैसाकुण्डल पटवार हल्का देवली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 20 की कृषि भूमि की आ.न. 1073/2 रकबा 0.5374 है0, व खाता संख्या 19 में आ.न. 1076/1 रकबा 0.6449 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1823 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.08.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायात 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भैसाकुण्डल पटवार हल्का देवली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 20 की कृषि भूमि की आ.न. 1073/2 रकबा 0.5374 है0, व खाता संख्या 19 में आ.न. 1076/1 रकबा 0.6449 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1823 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लेण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की निर्णयानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। निर्णयानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।




(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

